

4.4.22

पत्रावली पेस हुई। प्राणी व प्राणी वकील
अपस्थित नहीं हुए। प्राणी व प्राणी वकील को
बार-बार आवाज लगाई गई। फिर भी
अनुपस्थित रहे। और ना ही बार-बार
अवसर दिए जाने पर लक्ष्मी हेतु लक्ष्मणा
पैस किया गया।

अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम परवी
अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 के तहत
खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमा
होकर नम्बर से रुम होकर दाखिल
दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

